अनुदान संख्या 47 - आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी विभाग (आयुष)

GRANT No. 47 – DEPARTMENT OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
राजस्वः	**Revenue :**				
स्वीकृत-	Voted -				
मूल	Original	961,50,00	105460,00	1008,36,82	- 46,23,18
पूरक	Supplementary	93,10,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				34,00,23
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत -	Voted –				
मूल	Original	2,50,00	10,40,00	10,00,00	-40,00
पूरक	Supplementary	7,90,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹4623.18 लाख) नवम्बर, 2010 और मार्च, 2011 में प्राप्त किए ₹9310.00 लाख के पूरक अनुदान का 50 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 4 प्रतिशत थीं।

बचतें /अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹4623.18 lakhs) constituted 50 percent of the supplementary grants of ₹9310.00 lakhs obtained in November, 2010 and March, 2011 and 4 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष “2251”	Major Head “2251”					
सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	Secretariat –Social Services					
मू.	O.	1175.00		1454.75	1314.34	-140.41
पु.	R.	279.75				
मुख्य शीर्ष “2210”	Major Head “2210”					
चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	Medical and Public Health					
मू.	O.	86975.00				
पू.	S.	9067.00		100605.02	99522.48	-1082.54
पु.	R.	4563.02				
मुख्य शीर्ष “2552”	Major Head “2552”					
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas					
मू.	O.	8000.00				
पू.	S.	243.00		..	..	..
पु.	R.	- 8243.00				

(I) ₹8293.00 लाख का प्रावधान चौदह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹8193.00 लाख मुख्य शीर्ष “2552” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए :-

(का) “शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - चिकित्सा की अन्य पद्धतियां - अन्य पद्धतियां” -

(क) “राष्ट्रीय चिकित्सीय पादप बोर्ड की स्थापना” - ₹600.00 लाख;

(ख) “राष्ट्रीय चिकित्सीय पादप मिशन” - ₹770.00 लाख;

(ग) “आयुष अस्पतालों और औषधालयों का विकास और आयुष को मुख्यधारा में लाना” - ₹2350.00 लाख;

(I) Provision of ₹8293.00 lakhs remained wholly unutilised under fourteen heads; of these ₹8193.00 lakhs accounted for under Major Head “2552” – under the following heads:-

(A) “Urban Health Services - Other Systems of Medicines – Other Systems” -

(a) “Setting up of National Board for Medicinal Plants” – ₹600.00 lakhs;

(b) “National Mission on Medicinal Plants” – ₹770.00 lakhs;

(c) “Development of AYUSH Hospitals and Dispensaries and Mainstreaming of AYUSH” – ₹2350.00 lakhs;

(खा) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - अन्य पद्धतियां" -

(क) "पूर्वोत्तर लोक चिकित्सा संस्थान, पासीघाट" - ₹300.00 लाख;

(ख) "पूर्वोत्तर आयुर्वेद और होम्योपैथी परिषद, शिलांग"- ₹1700.00 लाख;

(ग) "केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद को अनुदान" - ₹342.00 लाख (₹242.00 लाख के पूरक अनुदान सहित);

(गा) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - आयुर्वेद"-

(क) "आयुष संस्थाओं/कालेजों का विकास और उन्नयन"- ₹501.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(ख) "केंद्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद को अनुदान" - 500.00 लाख;

(घा) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - होम्योपैथी- केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद को अनुदान" - ₹230.00 लाख ; और

(ङ) " शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - चिकित्सा की अन्य पद्धतियां- निदेशन और प्रशासन" -

(क) सूचना, शिक्षा और संचार पर व्यय'' - ₹300.00 लाख।

उपर्युक्त दस शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(B) "Medical Education, Training and Research – Other Systems" –

(a) "North Eastern Institute of Folk Medicine, Passighat" - ₹300.00 lakhs;

(b) "North Eastern Institute of Ayurveda and Homoeopathy, Shillong" - ₹1700.00 lakhs;

(c) "Grants to Central Council for Research in Yoga and Naturopathy" – ₹342.00 lakhs (including supplementary grant of ₹242.00 lakhs);

(C) "Medical Education, Training and Research – Ayurveda" –

(a) "Development and upgradation of AYUSH Institutions/Colleges" – ₹501.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh);

(b) "Grants to Central Council for Research in Ayurveda and Siddha" – ₹550.00 lakhs;

(D) "Medical Education, Training and Research – Homoeopathy – Grants to Central Council for Research in Homoeopathy" – ₹230.00 lakhs; and

(E) "Urban Health Services – Other Systems of Medicines – Direction and Administration" –

(a) "Expenditure on Information, Education and Communication" – ₹300.00 lakhs.

Provisions under the above ten heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(ख) "आयुष शिक्षा/औषध विकास एवं अनुसंधान/नैदानिक अनुसंधान/लोक चिकित्सा आदि में संलग्न गैर सरकारी/निजी क्षेत्र के प्रत्यायित आयुष उत्कृष्टता केंद्रों को सहायता"- ₹250.00 लाख;

(b) "Assistance to accredited AYUSH Centres of Excellence in non- governmental/ Private Sector engaged in Ayush Education/Drug Development & Research/ Clinical Research/Folk Medicine etc."- ₹250.00 lakhs;

(चा) " चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - यूनानी - केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद को अनुदान" - ₹300.00 लाख ।

(F) "Medical Education, Training and Research – Unani – Grants to Central Council for Research in Unani Medicine" – ₹300.00 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-receipt of proposals from North Eastern States.

(II) मुख्य शीर्ष "2210" - "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - आयुर्वेद - केंद्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद को अनुदान" के अंतर्गत ₹12750.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹25.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹12775.00 लाख कर दिया गया। तथापि ₹375.00 लाख (पूरक अनुदान सहित) की बचत पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2210" - "Medical Education, Training and Research – Ayurveda - Grants to Central Council for Research in Ayurveda & Sidha" – the original provision of ₹12750.00 lakhs was augmented to ₹12775.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹25.00 lakhs. However, there was a saving of ₹375.00 lakhs (including supplementary grant) - due to availability of unspent balance of previous year.

(III) मुख्य शीर्ष "2210" के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार अप्रयुक्त रहा:-

(III) Supplementary grant obtained under Major Head "2210" remained unutilised under the following heads to the extent as shown against each:-

(का) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - अन्य चिकित्सा पद्धतियां - आयुर्वेद - भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली को अनुदान" - ₹234.00 लाख के मूल प्रावधान को 296.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹530.00 लाख कर दिया गया, तथापि, जो अपने आंतरिक उत्पादन के मद्देनजर परिषद से कम मांग प्राप्त होने के कारण ₹166.00 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(A) "Urban Health Services – Other Systems of Medicines - Ayurveda - Grants to Central Council of Indian Medicine, New Delhi"- the original provision of ₹234.00 lakhs was augmented to ₹530.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹296.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹166.00 lakhs - due to less demand from Council keeping in view their internal generation.

(खा) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - अन्य पद्धतियां" -

(B) "Medical Education, Training and Research – Other Systems" –

(क) "मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान" - ₹730.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹240.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹970.00 लाख कर दिया गया, तथापि, जो जिला योग स्वास्थ्य केंद्र के लिए कम

(a) "Morarji Desai National Institute of Yoga"– the original provision of ₹730.00 lakhs was augmented to ₹970.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹240.00

निधियों की आवश्यकता होने के कारण ₹200.80 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ख) "आयुष शिक्षा/औषध विकास एवं अनुसंधान/नैदानिक अनुसंधान/लोक चिकित्सा आदि में संलग्न गैर सरकारी/निजी क्षेत्र के प्रत्यायित आयुष उत्कृष्टता केंद्रों को सहायता"- ₹2250.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹846.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹3096.00 लाख कर दिया गया, तथापि, जो व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण ₹199.43 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(IV) मुख्य शीर्ष "2210" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत भी हुईं:-

(का) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - अन्य चिकित्सा पद्धतियां"-

(क) "निदेशन और प्रशासन" -

(i) "आयुष पर अंतरर्राष्ट्रीय विनिमय कार्यक्रम/संगोष्ठी कार्यशाला पर व्यय" - ₹1632.23 लाख की बचत (₹2140.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दूतावासों और अन्य संगठनों से कम प्रस्ताव/बिल प्राप्त होने और भारत स्थायी मिशन, जिनेवा द्वारा कम व्यय किए जाने के कारण हुई।

(ii) "पाठ्य पुस्तकों एवं पाण्डुलिपियों का अधिग्रहण, सूची में डालना, डिजिटाइजेशन और प्रकाशन संबंधी स्कीम" - ₹133.12 लाख की बचत (₹255.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) "अन्य पद्धतियां" -

(i) "अनुसंधान संस्थान (निजी/अर्ध सरकारी/सरकारी/विश्वविद्यालय/गैर सरकारी संगठन) आदि के माध्यम से अतिरिक्त भिति अनुसंधान परियोजनाओं के लिए अनुदान" - ₹189.51 लाख की बचत (₹550.00

lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹200.80 lakhs - due to requirement of less funds towards District Yoga Wellness Centre.

(b) "Assistance to accredited AYUSH Centres of Excellence in non-governmental/Private Sector engaged in AYUSH Education/Drug Development and Research/Clinical Research/Folk Medicine etc." – the original provision of ₹2250.00 lakhs was augmented to ₹3096.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹846.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹199.43 lakhs - due to non-receipt of viable proposals.

(IV) Under Major Head "2210" – savings also occurred under the following heads:-

(A) "Urban Health Services – Other Systems of Medicines"-

(a) "Direction and Administration" –

(i) Expenditure on International Exchange Prog/Seminar Workshop on AYUSH" – saving of ₹1632.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2140.00 lakhs) was due to receipt of less proposals/bills from embassies and other organizations and less expenditure by the Permanent Mission of India, Geneva.

(ii) "Scheme for Acquisition, Cataloging, Digitisation and Publication of Text Books & Manuscripts"- saving of ₹133.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹255.00 lakhs) was due to non-receipt of utilisation certificates.

(b) "Other Systems" -

(i) "Grants for Extra Mural Research Projects through Research Instt. (Pvt./Semi Govt./Govt./Universities/NGO) etc." – saving of ₹189.51 lakhs (against

लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पर्याप्त व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

the sanctioned provision of ₹550.00 lakhs) was due to non-receipt of adequate viable proposals.

(ii) "आयुष उद्योग समूहों के लिए सामान्य सुविधाओं का विकास" - ₹525.33 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाणपत्र विलंब से प्राप्त होने और स्वीकृत चालू परियोजनाओं की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(ii) "Development of Common facilities for AYUSH Industry clusters" – saving of ₹525.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs) was due to late receipt of utilisation certificates and slow progress of sanctioned ongoing projects.

(iii) "आयुष अस्पतालों और औषधालयों में अतिरिक्त संघटक - तकनीकी अस्पतालों में विशिष्ट चिकित्सालयों/आईपीडी की स्थापना के लिए सरकारी-निजी भागीदारी संबंधी स्कीम" - ₹680.00 लाख की बचत (₹700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से पर्याप्त व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(iii) "Additional component in AYUSH Hospitals and Dispensaries - Scheme for public-private partnership for setting up of speciality clinics/IPDs in technical hospital" – saving of ₹680.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹700.00 lakhs) was due to non-receipt of adequate viable proposals from the States/Union Territories.

(खा) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - आयुर्वेद-भारतीय चिकित्सा भेषज संग्रह प्रयोगशाला, गाजियाबाद" - ₹202.90 लाख की बचत (₹442.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से कम मांग होने के कारण हुई।

(B) "Medical Education, Training and Research – Ayurveda - Pharmacopeia Laboratory of Indian Medicine, Ghaziabad" – saving of ₹202.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹442.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and less demand from Central Public Works Department.

(V) चार शीर्षों के अंतर्गत ₹281.60 लाख की बचतें हुईं जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक किंतु ₹100.00 लाख से कम तथा स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत से 53 प्रतिशत तक थी।

(V) Under four heads savings of ₹281.60 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 12 percent to 53 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹5439.17 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2210" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹9067.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

2.(I) The above savings were partly (₹5439.17 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of ₹9067.00 lakhs under Major Head "2210" – under the following heads:-

(का) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - अन्य चिकित्सा पद्धतियां - अन्य पद्धतियां" -

(A) "Urban Health Services - Other Systems of Medicines - Other Systems" –

(क) "राष्ट्रीय चिकित्सा पादप बोर्ड की स्थापना" - ₹1002.79 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹993.80 लाख था।

(ख) "राष्ट्रीय चिकित्सीय पादप मिशन" - ₹671.48 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹594.10 लाख था।

(ग) "आयुष अस्पतालों और औषधालयों का विकास तथा आयुष को मुख्यधारा में लाना" - ₹2152.81 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹2111.23 लाख था।

(खा) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान"-

(क) "आयुर्वेद" -

(i) "आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान, जामनगर" - ₹109.00 लाख।

(ii) "आयुष संस्थाओं/कालेजों का विकास और उन्नयन"- ₹417.40 लाख।

(ख) "होम्योपैथी - केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद को अनुदान" - ₹115.00 लाख।

(ग) "यूनानी - केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद को अनुदान" - ₹360.69 लाख।

(घ) "अन्य पद्धतियां - केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा परिषद को अनुदान" - ₹610.00 लाख।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष "2251" - "सचिवालय - आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी विभाग"- ₹139.34 लाख का अधिक व्यय (₹1175.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नवम्बर, 2010 से भारतीय रेड क्रास सोसाइटी प्राधिकरण के बढ़े हुए किराया दर को पूरा करने और परामर्शदाता

(a) "Setting up of National Board for Medicinal Plants"- ₹1002.79 lakhs. Actual excess, however, was ₹993.80 lakhs.

(b) "National Mission on Medicinal Plants" – ₹671.48 lakhs. Actual excess, however, was ₹594.10 lakhs.

(c) "Development of AYUSH Hospitals and Dispensaries and Mainstreaming of AYUSH" - ₹2152.81 lakhs. Actual excess, however, was ₹2111.23 lakhs.

(B) "Medical Education, Training and Research"-

(a) "Ayurveda"-

(i) "Grants to Institute of Post Graduate Teaching and Research in Ayurveda, Jamnagar"- ₹ 109.00 lakhs.

(ii) "Development and upgradation of AYUSH Institutions/Colleges"- ₹417.40 lakhs.

(b) "Homoeopathy – Grants to Central Council for Research in Homoeopathy" – ₹115.00 lakhs.

(c) "Unani – Grants to Central Council for Research in Unani Medicine" - ₹360.69 lakhs.

(d) "Other Systems – Grants to Central Council for Research in Yoga and Naturopathy" – ₹610.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2251" – "Secretariat – Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy" – excess of ₹139.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1175.00 lakhs) was due to requirement of additional funds to meet enhanced rent rate of

के वेतन में वृद्धि के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

Indian Red Cross Society's Authority w.e.f. November, 2010 and increase in salary of consultant.

(खा) मुख्य शीर्ष "2210" -

(B) Major Head "2210"-

(क) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - अन्य चिकित्सा पद्धतियां - निदेशन और प्रशासन - सूचना, शिक्षा और संचार पर व्यय" - ₹791.29 लाख का अधिक व्यय (₹2700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आरोग्य मेलों का आयोजन करने और आयुष को बढ़ावा देने के प्रचार अभियान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(a) "Urban health Services - Other Systems of Medicines – Direction and Administration– Expenditure on Information, Education and Communication"- excess of ₹791.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2700.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for conducting AROGYA Fairs and Publicity Campaign for Promotion of AYUSH.

(ख) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - अन्य पद्धतियां"-

(b) "Medical Education, Training and Research – Other Systems" -

(i) "पूर्वोत्तर क्षेत्रीय लोक चिकित्सा संस्थान, पासीघाट"- ₹300.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(i) "North Eastern Regional Institute of Folk Medicine, Passighat"-excess of ₹300.00 lakhs (against nil provision); and

(ii) "पूर्वोत्तर आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान, शिलांग"- ₹1700.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(ii) "North Eastern Institute of Ayurveda and Homeopathy, Shillong" -excess of ₹1700.00 lakhs (against nil provision).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from "Major Head 2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹85.25 लाख का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 171 प्रतिशत था।

(III) Under one head excess of ₹85.25 lakhs occurred constituting 171 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ:

3. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष " 4210" चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4210" Capital Outlay on Medical and Public Health				
मू.	O.	250.00	1040.00	1000.00	- 40.00
पू.	S.	790.00			

(I) ₹150.00 लाख का प्रावधान "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - आयुर्वेद - भारतीय चिकित्सा भेषज संग्रह प्रयोगशाला, गाजियाबाद के अंतर्गत केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से मांग प्राप्त न होने के कारण एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹150.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under "Medical Education, Training and Research – Ayurveda - Pharmacopoeia Laboratory of Indian Medicine, Ghaziabad" – due to non-receipt of demand from Central Public Works Department.

4. उपर्युक्त बचतें पुनिर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹110.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि "सामान्य - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - भारतीय चिकित्सा फार्मास्यूटिकल निगम लिमिटेड" के अंतर्गत मार्च, 2011 में ₹790.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

4. The above savings were partly (₹110.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹790.00 lakhs in March, 2011 under "General – Investment in Public Sector and Other Undertakings - Indian Medicine Pharmaceutical Corporation Limited".